हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019– विभाजन/पुर्नगठन–70444–48 दिनांक 19 Nov, 2020.

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए(1)2/2019–विभाजन/पुर्नगठन–68861 दिनांक 10.11.2020 के अन्तर्गत जिला शिमला में ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित और नए ग्राम सभा क्षेत्रों को गठित करने तथा ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे तथा उपायुक्त शिमला को इस सम्बन्धत में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों एंव सुझावों पर उपायुक्त जिला शिमला की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला शिमला के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के विभाजन, पुर्नगठन और नए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप–धाराओं (1) व (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को विभाजित, पुर्नगठित कर उनके लिए, उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) के प्रयोजन हेतु निम्न प्रकार से ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना का सहर्ष आदेश प्रदान करते है।

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2–क) तथा धारा (3–क) के अधीन प्रदत शक्तियों के अन्तर्गत यह आदेश भी प्रदान करते है कि इस अधिसूचना के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का विभाजन और पुर्नगठन विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

"अनुसूची"

क0 सं0	वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम	नई ग्राम सभा तथा उसके मुख्यालय का नाम	कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्राम सभा में सम्मिलित होने बाले ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 3 में शेष बचे ग्रामों के नाम जो वर्तमान ग्राम सभा में ही रहेंगें	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	चिडगांव	1 चिडगांव 2 भेतियानी	भेतियानी मुख्यावास जोक्टापुल	1 भेतियानी	—	ग्राम चिडगांव नगर पचांयत चिडगांव में सम्मिलित
2	खाबल	1 बागी 2 सेरी		2 बागी	1 सेरी 2 खाबल	

		3 खाबल 4 सौन्दाडी 5 देनवाडी 6 डी0पी0एफ0 खाबल 7 कलगापटन			3 सौन्दाडी 4 देनवाडी 5 डी0पी0एफ0 खाबल 6 कलगापटन	

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः उपरोक्त–70444–48 दिनांक 19–Nov, 2020

प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1. उपायुक्त शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश ।
2. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.
3. जिला पचांयत अधिकारी शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड छौहारा, जिला शिमला हि0प्र0.
5. प्रधान / सचिव ग्राम पचांयत खाबल, विकास खण्ड छौहारा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–9.